राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....620/2015..... जिला .....अलवर.....

उनवान : मैसर्स गणपति स्टोन क्रेशर, ग्रामोद्योग संस्थान, कांकरिया, ग्राम बुटेरी बानसूर, अलवर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी, वा. कर, अलवर (2) वा. क. अ. वार्ड–प्रथम, बहरोड़, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री मनोहर पुरी, सदस्य**	
08/06/2015	अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 72/आरवेट/2014–15 में पारित किये गये आदेश दिनांक 07.04.2015 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, बहरोड़ (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 26 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 18.02.2015 से सृजित मांग की वसूली के स्थगन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी खादी ग्रामोद्योग निगम (के.वी.आई.सी.) के तहत पंजीकृत संस्था है तथा आलौच्य अवधि वर्ष 2009–10 के दौरान रोड़ी, डस्ट व ब्लास्टर का निर्माण कर विक्रय किया है। कर निर्धारण अधिकारी ने करमुक्त विक्रय के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009–20 दिनांक 8.7.2009 की शर्त संख्या 2 अनुसार उपायुक्त (प्रशासन) से अधिकारिता प्रमाण–पत्र (Entitlement Certificate) प्रस्तुत किये जाने की बाध्यता होने तथा उक्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत माल रूपये 14/– प्रति टन की दर से कर रूपये 2,66,770/– एवं ब्याज रूपये 1,60,062/– कुल रूपये 4,26,832/– का आरोपण आदेश दिनांक 18.2.2015 से किया। उक्त आदेश से सृजित मांग की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को, अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 07.04.2015 से अस्वीकार कर दिये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में वसूली योग्य राशि रूपये 3,83,832/– की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने हेतु निवेदन किया है। अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री ओ. पी. गुप्ता तथा राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह की बहस सुनी गयी। **लगातार.....2**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....620/2015..... जिला .....अलवर.....

उनवान : मैसर्स गणपति स्टोन क्रेशर, ग्रामोद्योग संस्थान, कांकरिया, ग्राम बुटेरी बानसूर, अलवर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी, वा. कर, अलवर (2) वा. क. अ. वार्ड–प्रथम, बहरोड़, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/06/2015	विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि अपीलार्थी इकाई के.वी.आई.वी. के तहत पंजीकृत है तथा स्वयं के द्वारा निर्मित माल को करमुक्त विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है। इसी सद्भावना के तहत अपीलार्थी द्वारा उत्पादित माल का करमुक्त विक्रय किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के अधिसूचना दिनांक 8.7.2009 के अनुसरण में कर व ब्याज का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने पर बल दिया। प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों को न्यायोचित बताते हुए कथन किया कि के.वी.आई.सी. के तहत पंजीकृत व्यवहारी को करमुक्त माल के विक्रय हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 8.7.2009 की शर्त संख्या 2 अनुसार उपायुक्त (प्रशासन) से अधिकारिता प्रमाण–पत्र (Entitlement Certificate) प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उक्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने हेतु नोटिसेज जारी किये जाने के बावजूद प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधि अनुसार कर योग्य बिक्रीत माल पर नियमानुसार करारोपण किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। वेट अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानानुसार यह प्रमाणित करने का भार उस व्यक्ति पर है, जो उस वस्तु को कर दायित्वाधीन नहीं होने का दावा करता है। अपीलार्थी ने अपने द्वारा बिक्रीत वस्तु का करमुक्त होना प्रमाणित करने के भार का निवर्हन नहीं किया है अर्थात् अपने विनिर्मित उत्पाद को कर मुक्त होने का दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। लगातार.....3	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....620 / 2015..... जिला .....अलवर.....

उनवान : मैसर्स गणपति स्टोन क्रेशर, ग्रामोद्योग संस्थान, कांकरिया, ग्राम बुटेरी बानसूर, अलवर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी, वा. कर, अलवर (2) वा. क. अ. वार्ड–प्रथम, बहरोड़, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 3 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08 / 06 / 2015	तथ्यात्मक परिदृश्य के अन्तर्गत उपलब्ध सामग्री के आधार पर सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में होने के सम्बन्ध में प्रस्तुत तर्कों में औचित्यतता का अभाव प्रतीत होता है। अतः उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों, अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त, **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर**	